Title: Alleged deforestation in Malegaon, Maharashthra.

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगाँव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सीरियस विषय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में, खास कर नासिक डिस्ट्रिक्ट में 25 साल से सात-आठ तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हुआ है। वहां सारे फोरेस्ट की इल्लिगल कटाई हो रही है और कुछ स्मगलिंग भी हो रही है। हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में एनक्रोचमेंट के बारे में 45 हजार लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि वह लैंड हमारे नाम पर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का सितम्बर, 2002 में एक आर्डर आया, कि जितना एनक्रोंचमेंट हुआ है, उसे हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 सितम्बर, 2002 तक वेकेंट करने का आर्डर दिया था, मगर हमारे यहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी फार्म की, लेकिन वहां अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1972 से 1978 तक जितने लीगल एप्लीकेंट्स हैं, उनके नाम पर फोरेस्ट लैंड करनी चाहिए। हमारे यहां नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो 45 हजार एप्लीकेशंस आईं, उनमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स की उम्र 25 साल भी नहीं है। ये सब इल्लिगल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूं कि जो एप्लिकेंट्स लीगल हैं, उनके नाम पर यह लैंड होनी चाहिए। हमारे यहां इलैक्ट्रिक पोल और वाटर सप्लाई के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमीशन लेनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि वहां अगले पांच साल के बाद इंसान के अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिलेगी। वहां इतनी गंभीर समस्या पैदा हो गई है, क्या इसके बारे में सरकार कुछ करने वाली है?

अध्यक्ष महोदय : चव्हाण जी, हम आपको बधाई देते हैं। यह आपका पहला भाषण है और आपने बहुत अच्छा बोला है।

श्री राजेश कुमार मांझी -- उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप मेरे से नाराज नहीं हैं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज दो माननीय सदस्यों ने 10 बज कर 11 मिनट पर नोटिस दिया, तब भी मैंने उन्हें बुलाया। आपको मौका दिया है, You were late by 58 minutes. Even then I am calling your name because you have not raised any other matter this week and you have been keeping quiet today.